पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी

–डॉ. कृष्ण चंद्र चौधरी

पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी।

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां की महिलाएं विकसित हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि "अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है, अगर भारत की महिलाएं जाग जाएं तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देंगी।" इस क्रम में डॉ० भीव राव अंबेडकर ने कहा था कि "समाज में स्त्री का बड़ा महत्व है, जिस घर–परिवार में स्त्री शिक्षित–प्रशिक्षित हो, उनके बच्चे सदा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। वह सुंदर परिवार की निर्मात्री है, जब तक हमारे आंदोलनों में महिलाएं भी भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता।"

ग्राम विकास में महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है। महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

सशक्त पंचायत सशक्त राष्ट्र

पंचायती राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अंततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख (45.15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए प्रर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की गांव के कामों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी। खासतौर से लिंग के

आधार पर किए जाने वाली गैर–बराबरी अब संभव नहीं रह गई है। महिलाओं का बढ़ता कद उन्हें घर और बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न हो अथवा घरेलू हिंसा – इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आज की महिला लड़ने में सशक्त हो चुकी है।

भारतीय संविधान में प्रदत राजनीतिक अधिकार

प्रत्येक महिला एवं वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वविवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान–सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

सशक्त पंचायत की ओर

पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनैतिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जोकि अब 42 प्रतिशत से अधिक हो गई है। महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अग्रणी (सर्वप्रथम) राज्य बिहार है; आज की स्थिति में 15 प्रमुख और बड़े राज्यों में यह विधेयक पास किए गए हैं। महिला साक्षरता 65 प्रतिशत हो गई है और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। अब कैबिनेट ने 110वें संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत् महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

संविधान संशोधन का मसौदा पंचायतों को नौवीं अनुसूची में रखने के लिए तैयार किया गया। निष्कर्ष के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सदस्यों और अध्यक्षों के एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनको स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी प्राप्त हुई है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है।

महिलाओं का सशक्तीकरण

पंचायती राज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र का सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ रही है। गांवों में भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। महिलाएं अब अल्प एवं छोटे परिवार की आदी हो रही हैं। घूंघट उनकी परंपरा है पर अब इससे भी महिलाएं उबर रही हैं। अब महिलाएं भ्रूण हत्या को रोकने में सजग हैं। बाल मृत्यु दर भी कम हो रहा है। ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30–45 वर्ष की महिलाएं ज्यादातर निर्वाचित होकर काम कर रही हैं। अब वे अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है। महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है।

पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की नेतृत्व की क्षमताएं सामने आई हैं। विभिन्न सामाजिक योजनाओं की प्रगति से गांवों के आर्थिक–सामाजिक जीवन में काफी बदलाव हुआ है। गांव, नए भारत के नए बाजार के रूप में उभर रहे हैं। पंचायतों के जरिए विभिन्न सामाजिक योजनाएं सीधे–सीधे गांव और ग्रामीणों तक जुड़ पा रही हैं। अब सरकार की कोशिश है कि इन संस्थाओं को और अधिकार दिए जाएं ताकि यह न केवल वित्तीय रूप से मजबूत हो बल्कि बेहतर कामकाज के लिए प्रोत्साहित भी हो ताकि देश के आर्थिक विकास में गांव ज्यादा से ज्यादा योगदान कर सकें।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की कुछ कमियां भी हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं की सफलता पंचायत प्रतिनिधि एवं विकास अधिकारियों की जागृति, ईमानदारी, कुशलता, विवेक, मंशा और सरकारी अनुदान पर निर्भर है; जबकि प्रणाली वह अच्छी मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति कैसा भी हो, प्रणाली उसे ईमानदारी, कुशलता, अच्छी मंशा, सद्विवेक, सक्षमता व स्वावलंबन के साथ कार्य करने को बाध्य करती हो।

वर्तमान में पंचायती राज गांवों को प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई बनाने पर जोर दे रहा है, जबकि गांव मूल रूप से एक सांस्कृतिक इकाई हैं। ऐसे में गांवों ने शहरों की बुराईयां तो अपना ली हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों की रक्षा करने में अब वह असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। विकास की दौड़ में हमें अपने मूल्यों को नहीं

राज्यवार पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का विवरण

क्र०सं०	राज्य	पंचायतों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22945
2	असम	2431
3	बिहार	9040
4	छत्तीसगढ़	9982
5	हिमाचल प्रदेश	3330
6	झारखंड	3979
7	कर्नाटक	5833
8	केरल	1165
9	मध्य प्रदेश	23412
10	महाराष्ट्र	28277
11	ओड़िशा	6578
12	राजस्थान	9457
13	त्रिपुरा	540
14	उत्तराखंड	7335
15	प. बंगाल	3713

स्रोतः लोकसभा में प्रश्न सं. 379 (22.5.2013) के संदर्भ में दिया गया उत्तर।

छोड़ना चाहिए और न ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को। पंचायतों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार की आदर्श ग्राम योजना इसको बेहतरीन अंजाम देने में सक्षम हो सकती है। अपितु ग्रामीण विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है।

सामने आई महिलाओं की नेतृत्व क्षमता

विश्व के अनेक देशों का अनुभव रहा है कि ग्रामीण एवं राष्ट्रीय–स्तर पर महिलाओं को चुनावों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इस प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के बेहतर अवसर स्थानीय स्वशासन में या विकेंद्रीकरण के संस्थानों में मिल सकते हैं। इस दृष्टि से भारत का उदाहरण महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यहां के पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण के कारण विश्व में स्थानीय स्वशासन के स्तर पर सबसे अधिक महिलाएं भारत में ही निर्वाचित होती हैं।

विभिन्न सफल महिला नेतृत्व की पंचायतों के अध्ययन से यह सामने आया है कि महिलाओं के नेतृत्व में आगे आने से विकास कार्यों को अधिक निष्ठा एवं ईमानदारी से आगे ले जाने, आपसी मेलजोल से कार्य करने, हरियाली बढ़ाने एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा नशा कम करने जैसे सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता देने में सफलता मिलती है। साधारण ग्रामीण महिलाओं का पंचायत से जुड़ाव बढ़ता है। इस तरह पंचायतों में महिला नेतृत्व की बढ़ती सफलता महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से ही नहीं अपितु विकास कार्यों एवं समाज सुधार में प्रगति की दृष्टि से भी एक सराहनीय उपलब्धि है।

शिक्षा को नए आयाम देती महिला प्रतिनिधि

पुरुषवादी मानसिकता के शिकार लोग अक्सर यह तर्क देते रहे हैं कि निरक्षर महिलाएं पंचायतों का कामकाज ठीक नहीं कर सकती हैं लेकिन सर्वेक्षणों के निष्कर्ष इसके उलट हैं। महिला जनप्रतिनिधि शिक्षा के विस्तार के साथ ही ग्रामीण विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। ये महिला जनप्रतिनिधि अधिकांशतः स्वयं निरक्षर हैं। अतः ये नहीं चाहती कि इनके गांव में कोई भी व्यक्ति विशेषकर महिलाएं एवं बालिकाएं अशिक्षित रहे। फलस्वरूप न केवल महिलाएं शिक्षा से जुड़ रही हैं, गांवों के स्कूलों में भी विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि ग्रामीण महिलाएं अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही हैं। इन क्षेत्रों की महिलाओं के समान अन्य पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी ऐसे ही प्रयास करें तो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण और गांवों का विकास सुनिश्चित है।

समाज में महिला प्रधान की बदलती तस्वीर

पंचायतों में महिला आरक्षण के लागू होते ही, महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई थी, लेकिन पंचायत के काम उनके रिश्तेदार संभालते थे। महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे सपने ध्वस्त से होते प्रतीत हुए थे, लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और अब पंचायतों के लिए चुनी जाने वाली महिलाएं, अपने पुरुष रिश्तेदारों के हाथ की कठपुतलियां मात्र नहीं रह गई हैं, अब वे आगे बढ़कर फैसले ले रही हैं और महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार कर रही हैं। आज राजनैतिक रूप से जागरूक महिलाएं पंचायतों के चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही हैं। पंचायतों में अब जो महिलाएं चुनकर आ रही हैं, उनमें से ज्यादातर युवा एवं पढ़ी–लिखी हैं। वे यह भ्रम तोड़ रही हैं कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की राजनैतिक कार्यक्षमता कम होती है।

राजनीतिक चुनौतियों का यह विश्लेषण बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिकाओं में उनकी संख्या नगण्य है। राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अनेक कमियां हैं, जो पंचायतों को स्वायत्तशासी संस्था बनाने में बाधा डालती हैं। पंचायत चुनाव में चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान एवं बाद में हिंसा, जात–पात, गुटबाजी का वातावरण महिलाओं को निरुत्साहित करता है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक है। पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास जागा है और इससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार आ रहा है। केंद्र व राज्य–स्तर पर अनेक प्रयास पंचायतों को सशक्त करने के लिए किए गए हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा, क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने के लिए पंचायतें मुख्य संस्थाएं हैं। यही नहीं, 50 अरब की लागत के प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किए जाएंगे। अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहल महिलाओं के सशक्त करने की प्रक्रिया और मजबूत करेगी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से हुई थी। अगर महिलाएं स्वयं चुनकर नहीं आती हैं तो दो महिलाओं को पंचायतों का सदस्य बना दिया जाए, इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यो को कर सकेंगी। यह वास्तव में पुरुषवादी सोच का ही परिणाम है कि महिलाओं को लालन–पालन के अलावा और किसी योग्य नहीं समझा जाता। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट ने भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। इस समिति ने संविधान में संशोधन के लिए विधेयक का मसौदा तैयार तो किया था, लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। बाद में कुछ राज्य, जैसे–कर्नाटक, केरल एवं पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागदारी सुनिश्चित की, जिसके ग्रामीण विकास व महिलाओं की मुखरता पर

अच्छे प्रभाव पड़े। अस्सी के दशक में यह बात साफतौर पर सामने आई कि बिना महिलाओं की भागदारी के संपूर्ण ग्रामीण विकास संभव नहीं है।

महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1988–2000) में सिफारिश की गई कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 30 प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। इस योजना की सिफारिशों व विभिन्न महिला मंचों, संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत बुद्धिजीवियों के प्रयासों से महिलाओं को सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रावधान ने महिलाओं की दमित ऊर्जा को उजागर किया है, जो निकट भविष्य में भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे सकेगी।

पंचायत चुनाव से पहले भ्रांतियां पैदा की जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए कहां से आएंगी महिलाएं। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब चुनाव संपन्न हुए तो पाया कि कुछ राज्यों, जैसे – कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व केरल में महिलाओं की संख्या अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। वैसे पंचायतों में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही हैं, लेकिन प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं रोड़ा अटका रही हैं। सामाजिक सीमाओं ने उन्हें कमजोर व असहाय बना दिया है। घर व समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सकें। उनकी अशिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने और मुश्किल खड़ी की हैं। गरीबी भी महिलाओं के लिए कम महत्तवपूर्ण समस्या नहीं है। परिवार यदि गरीब है तो सबसे ज्यादा बोझ महिलाएं ही उठाती हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी–रेखा से नीचे रह रहा है। महिलाओं की आर्थिक रूप से बिगड़ती स्थिति पर एक प्रहार नई आर्थिक नीति ने किया।

राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है। महिलाओं की नौकरशाही में भागीदारी भी नहीं के बराबर है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत व गैर–पंचायत कार्यालयों में पुरुष ही नजर आते हैं जिसके कारण वे अपनी बातें उनसे खुलकर नहीं कह पाती। इसका प्रभाव उनके कार्य–संपादन पर पड़ता है।

माना कि महिलाओं के सामने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको दूर नहीं किया जा सकता या उनका समाधान संभव नहीं है। महिलाओं की गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास व उन्मूलन कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम व अन्य जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम चलाए जा रहें हैं, जिनमें महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इनके द्वारा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। चूंकि ये कार्यक्रम पंचायतों द्वारा ही लागू किए जाएंगे, जिनमें महिलाएं स्वयं भागीदार हैं, इसलिए आशा की जाती है कि इनके कार्यान्वयन में सुधार आएगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर पड़ेगा।

पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों के बारे में, पंचायत की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियमों एवं कानूनों के बारे में, वित्तीय व गैर–वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के बारे में तथा विकेंद्रीकरण योजना तैयार करने के बारे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सोच व समझ का विस्तार हुआ है और वे पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही हैं, जो यह ढांढस बंधाते हैं कि महिलाएं भले ही अशिक्षित हैं और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर भी उन्होंने ग्रामीण समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भविष्य में जैसे–जैसे महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त करने से और पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के माध्यम से इकट्ठा होंगी, कम मुखर महिला प्रतिनिधियों पर मुखर महिलाओं का प्रदर्शनकारी प्रभाव पड़ेगा, जो उनकी पंचायतों की भूमिका को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 81वां संविधान संशोधन, जो संसद व विधानसभाओं में महिला आरक्षण के बार में हैं, वह महिला पंचायत प्रतिनिधियों, महिला विधायकों व महिला सांसदों के बीच तारतम्य बढ़ाएगा। इससे ग्रामसभा से लेकर लोकसभा की ओर महिलाओं का एक ताना–बाना तैयार होगा, जो महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी प्रभावी भूमिका निभाने में मददगार होगा। महिलाओं की शक्ति संपन्नता की राष्ट्रीय नीति, जो 1996 में बनाई गई थी, महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निवारण का इलाज है। आने वाले समय में महिलाओं के स्वयं के प्रभाव से और महिलाओं के विकास में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व बुद्धिजीवियों के सहयोग से उनके उद्देश्य कार्यात्मक रूप ले पाएंगे।

महिला सहभागिता का प्रभाव

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला, जब 72वें और 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गईं। इस कानून से ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता में वे भी भागीदार हो सकती हैं। बिहार भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का एक ऐसा प्रांत (राज्य) बन गया है जहां पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ ही निरक्षरता दर सबसे अधिक, सधन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य में 8500 पंचायतों में 45000 से भी अधिक महिलाएं चुनाव जीती हैं, जोकि एक अनुपम उदाहरण है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र

ग्राम पंचायतों में सफलता की नई गाथाएं लिखती महिला प्रतिनिधि

देश भर में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि लाखों की संख्या में सफलता की कहानियां लिख रही है। अपने क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव ला अपनी छाप छोड़ रही ये महिलाएं अन्य महिलाओं के लिए रोल मॉडल की भूमिका निभा रही हैं। तमिलनाडु के छह जिलों में इंडियास्पेंड अध्ययन 2017 में पाया गया है कि पीआरआई की निर्वाचित 60 प्रतिशत महिलाएं अपने परिवार के पुरुष सदस्यों या सहयोगियों से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं जोकि एक सकारात्मक बदलाव है।

राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाली 24 साल की एमबीबीएस की फ़ाइनल वर्ष की छात्रा शहनाज को हाल ही मे कामां पंचायत से सरपंच चुना गया है। वे देश की सबसे युवा और राजस्थान की पहली महिला डॉक्टर सरपंच हैं। वे लड़कियों की शिक्षा पर काम करना चाहती हैं। अमेरिका की लाखों रुपये वेतन वाली नौकरी छोड़कर देश की अब्दुल्ला बद्खेड़ा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच बन भक्ति शर्मा अब सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करके अपनी ग्राम पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। इसी तरह असम की खेत्री ग्राम पंचायत की महिला सरपंच के नेतृत्व में संस्थागत वितरण, टीकाकरण, पेयजल और स्वच्छता की दृष्टि से 100 प्रतिशत कवरेज हासिल कर ली गई है और 80 प्रतिशत पक्की सड़क की कनेक्टिविटी हासिल की जा चुकी है। इसके अलावा, नियमित स्वास्थ्य शिविर सहित महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं और घरेलू हिंसा और निराश्रित महिला पीड़ितों को आश्रय दिया जाता हैं।

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले की ग्राम पंचायत बटकीडोह की सरपंच श्रीमती कलीबाई को ग्राम पंचायत में किए गए श्रेष्ठ कार्यों के लिए उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ज़िले में तालाबों के निर्माण से जलस्तर में बढ़ोतरी से सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में योगदान सहित ग्रामीण घरों मे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने, गांव में पक्की सड़कें बनवाने और लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने मे महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें 2014 में पुरस्कृत किया गया था।

हरियाणा के करनाल जिले में चंदसमंद ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने गंदे पानी को साफ करने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत तीन तालाब विकसित किए हैं; अब बागवानी, रसोई बागवानी और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए उनके चारों ओर एक हरी बेल्ट विकसित की गई है। हरियाणा में ही धौंज ग्राम पंचायत की महिला प्रमुख ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की हैं। इनमें से महिलाओं और लड़कियों का कौशल विकास, मोबाइल–कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से डिजिटल विभाजन को दूर करना, स्कूल छात्राओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित करना, पर्दा/घूंघट आदि रिवाजों के खिलाफ अभियान चलाना आदि प्रमुख हैं।

छवि राजवत आज एक जाना–माना नाम बन चुका है जिसने राजस्थान भी सोडा ग्राम पंचायत का सरपंच बनने के लिए देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी में नौकरी को छोड़ दिया और तब से अपनी ग्राम पंचायत में साफ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कों, शौचालयों और गांव में बैंकिंग सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। हरियाणा में धनी मियान खान ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने महिलाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र बनाया और यह सुनिश्चित किया कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाए। उनके मार्गदर्शन में, उनके गांव ने हरियाणा के सभी गांवों में अपनी बेहतर स्वच्छता, शून्य ड्रॉपआउट दर और सर्वोत्तम लिंग अनुपात के लिए कई पुरस्कार जीते। ओडिशा में धंकपारा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच ने अपने गांव में पारंपरिक लोक कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभियान शुरू किया और यह सुनिश्चित किया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ जरूरतमंद और योग्य लोगों तक पहुंचे। ये महिला पहले बैंक (निवेश) रह चुकी हैं। महिला प्रतिनिधियों की सफलताओं की सूची बेहद लंबी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि महिलओं के लिए चुनौतियां और बाधाएं समाप्त हो गई हैं बल्कि सच्चाई यह है कि उन्होंने चुनौतियों और बाधाओं से लड़कर ये मुकाम हासिल किया है।

पीआरआई में फिलहाल लगभग 14 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (ईडब्ल्यूआर) हैं जो कुल निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआरएस) का 46.14 प्रतिशत है। राज्यवार विवरण पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार (http://www.panchayat.gov.in/women-representation-in-pris) की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

में कदम रखा था। चूल्हे–चौके तक ही सीमित दुनिया में रहने वाली इन महिलाओं के लिए नई भूमिका में खुद को साबित करना आसान नहीं था। फिर साक्षर न होने का अभिशाप, लेकिन जब अधिकार मिले और सिर पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ा तो उनको धीरे–धीरे काम करने का ढंग भी आ गया। विधानसभाओं एवं लोकसभा के लिए भी जो लोग जीते हैं, सारे स्नातकोत्तर (एम.ए.), विद्यानिधि (एम. फिल), विद्यावारिधि (पी.एच.डी.) तो नहीं होते, पर मंत्री बनने के बाद काम चला ही लेते हैं। कानून बनने के बाद, नागरिक सामाजिक संगठनों की भूमिका सराहनीय रही, उन्होंने सदियों से दबे–कुचले समाज की महिलाओं की खासतौर पर मदद की। चुनाव लड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार करने और चुनाव जीतने के लिए जागरूकता अभियान चलाने से लेकर चुनाव जीतने के बाद पंचायतों का काम करने का उन्होंने प्रशिक्षण दिया। पंचायतों में महिला आरक्षण ने जहां एक ओर महिलाओं की तकदीर बदलने का काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर इसने पंचायतों की तस्वीर

भी पूरी तरह से बदल कर रख दी है और राजनैतिक रूप से हाशिये पर पड़ी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

शिक्षा से आया सामाजिक बदलाव

शिक्षित मतदाता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से कर सकने में सक्षम होते हैं। इस लिहाज से शिक्षा के प्रसार से देश में लोकतंत्र को मजबूती मिली है। पंचायती राज कानून ने ग्रामीणों को अपने फैसले खुद करने का अवसर मुहैया कराया है। ग्रामीणों और खासतौर से ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के विकास से पंचायती राज संस्था को बल मिला है। इससे ग्राम पंचायतें अपने आर्थिक और अन्य सामुदायिक फैसले ज्यादा विवेकपूर्ण ढंग से करने में सक्षम बनी हैं। डा. अम्बेडकर ने भी कहा था, "शिक्षा सबकी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। इसे हर मुमकिन तरीके से और यथासंभव रास्ता बनाया जाना चाहिए।" बाबा साहब का अटूट विश्वास था कि शिक्षा ही मनुष्य और समाज के जीवन में बदलाव ला सकती है।

अतः भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप ने एक लंबा समय तय किया है। प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिककाल में भी पंचायतों का अस्तित्व देखने को मिलता था। बौद्धकाल में ग्राम परिषदें थी। इन परिषदों का कार्य ग्राम भूमि कर, लगान की व्यवस्था, शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रूचि लिया करते थे। चाणक्य, ग्राम को प्रथम राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। सन् 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों से संबंधित अध्याय के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति व अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। व्यावहारिक रूप में 'पंचायती' शब्द का अस्तित्व आजाद भारत में श्री बलवन्त राय मेहता के "लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण" के प्रतिवेदन से उदय हुआ और जो अनवरत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भारत में धीरे–धीरे देखने को मिल रहा है।

पारिवारिक सामंजस्य की आवश्यकता

महिलाओं की राजनैतिक क्रियाशीलता हेतु पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य भी अति आवश्यक है। पति–पत्नी ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सभी सदस्यों को एक–दूसरे की प्रतिभा, योग्यता, दक्षता और कौशल को पहचानते हुए; आपसी सौहार्द्र की भावना से उनकी निहित शक्तियों के प्रकटीकरण एवं उपयोग के अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक स्तर पर उदार, प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर यथासंभव उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने का प्रयास करना चाहिए। अधिकारों के साथ–साथ उत्तरदायित्वों को भी वहन करना होगा। किसी होड़, प्रतिद्वंदिता या नारेबाजी से नहीं, वैचारिक शक्ति का संबल लेकर सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। फलतः महिला सशक्तिकरण के बहुआयाम महिलाओं के संपूर्ण व्यक्तिव व सर्वांगीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी अपेक्षाएं हैं।

संदर्भ सूची

आलोक, चेतनादित्य; "महिला सशक्तिकरण हमारे समाज का सहज स्वरूप", अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

गजेंद्र गड़कर, वसुधा; "महिला शिक्षा–एक अहम पहलू", अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

नीरा देसाई, "वीमेन एण्ड सोसाइटी", एस.एन.डी.टी., वीमेन्स यूनिवर्सिटी, बम्बई।

नीरा देसाई (1987), "सोशल चेंज इन गुजरात", वोरा एंड कम्पनी, पब्लिशर्स प्रा.लि. मुंबई।

वीना पुनाचा, "जेंडर एण्ड पॉलिटिक्स", रिसर्च सेन्टर फॉर वीमेन्स स्टडीज, एस.एन.डी.टी. वीमेन्स यूनिवर्सिटी, मुम्बई।

व्होरा, आशारानी "महिलाएं और स्वराज" प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

देसाई, नीरा व ठॉर उषा (2009) "भारतीय समाज में महिलाएं", राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

शुक्ल, संध्या; "प्रगति पथ पर अग्रसर नारी", अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

राजकुमार;(2005) : "नारी के बदलते आयाम", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस अन्सारी रोड दरियांगज नई दिल्ली।

राजकुमार;(2003) : "भारतीय नारी, सामाजिक अध्ययन", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

पवार, योगिता महेश; "महिला सशक्तिकरण : फिर भी मंजिल अभी बाकी", अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

पालीवाल, सुभाषिणी, "भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता", कल्याणी शिक्षा परिषद्, नईदिल्ली पृ.सं. 90।

पांडिया, चंद्रकला; (2005) : "धर्मशास्त्र और स्त्री विमर्श" महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

पाण्डेय, प्रेम नारायण; (2000) : "ग्रामीण विकास एव संरचनात्मक परिवर्तन", रावत पब्लिकेशन जयपुर एवं नई दिल्ली।

परवीन विसारिया (1999) : "लेबल एंड पैटर्न आफ फीमेल इम्प्लायमेंट" 1911–1994, इन टी.एस. पोपला एंड ए.एन. शर्मा।

भारत, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त (2011) कुल भारत की जनगणना 2011, नई दिल्ली।

सिंह, अनिल; "भारत में महिलाओं की स्थितिः कल और आज", अंक : 08, मार्च, 2016, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।

महीपाल (2017), "पंचायत में महिलाएं", राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

मंजुलता, (2012) : "भारतीय सामाजिक समस्याएं", अर्जुन पब्लिशिंग हाउस।

महाजन एस. (2009) : "सामाजिक बदलाव के लिए शिक्षा", राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।

(लेखक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा (मनोविज्ञान विभाग) में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : krishna.nipccd@gmail.com

आगामी अंक

अगस्त, 2018 : ग्रामीण बुनियादी ढांचा